

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर - आरआरकेट
इन्दौर - 452013

सं. आरआरकेट/प्रशा/सतर्कता/11(12)/पी-IV/2014/ 1712

दिनांक 30 अप्रैल, 2014

विषय :- आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र में अंशकालिक परामर्शदाताओं/चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु वाक-इन-इंटरव्यू ।

राजेन्द्रनगर, इन्दौर में राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए की गई थी। इस केन्द्र में लगभग 1500 कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर तकनीशियन तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के अंतर्गत एक चिकित्सा केन्द्र की व्यवस्था की गई है। इस योजना में लगभग 5500 लाभार्थी शामिल हैं।

इस चिकित्सा केन्द्र में निम्नलिखित विशेषज्ञों के रूप में अंशकालिक परामर्शदाताओं की आवश्यकता हैं। अंशकालिक परामर्शदाता/चिकित्सक के रूप में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव रखने वाले 55 वर्ष तक की आयु के विशेषज्ञों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा:-

क्र. स.	विशेषता	योग्यता	देखने आने का समय	अनुभव	मासिक मानदेय
1.	नेत्र रोग चिकित्सक	एमएस (नेत्र विज्ञान)	सप्ताह में तीन बार प्रति दिन दो घंटे (केवल ओपीडी के लिए)	10 वर्ष	रु. 10000/- + (रु.1300/- प्रतिमाह परिवहन भत्ता)

नेत्र रोग चिकित्सक पद के लिए दिनांक 12.05.2014 (सोमवार) को वाक-इन-इंटरव्यू की व्यवस्था प्रशासनिक भवन, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, पोस्ट-केट, इन्दौर -452013 में की गई है। इच्छुक आवेदक जो उपर्युक्त योग्यता रखते हैं, वे सहायक कार्मिक अधिकारी (सतर्कता अनुभाग) को दिनांक 12.05.2014 को 10:00 बजे से 13:00 बजे के बीच रिपोर्ट करें (फोन नं. 0731-2488811)। आवेदक अपने साथ बायो-डाटा, प्रमाण-पत्रों की दो प्रतिलिपियों के साथ-साथ, जन्म-तिथि, शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव, पंजीकरण, आदि के संबंध में मूल अंकसूची /प्रमाणपत्र तथा दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो लाने होंगे।

नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष तक रहेगी तथा पुनरीक्षण के पश्चात् यह अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।

इस विज्ञापन को वेबसाइट www.rrcat.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

बी.के. जेना
29/4/2014
(बी.के. जेना)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी